ग्राम पंचायत कोठी कोहड़, विकास खंड बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 (क) प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवम उप–सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)–सी(15)एलएडी/2006–12669 दिनांक–07–04–16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के द्रष्टिगत ग्राम पंचायत कोठी कोहड़, विकास खंड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे।

प्रधानः–

क्रंम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	श्रीमति बबिता देवी	01/04/2014 से 22/01/2016
2.	श्री इन्दर सेन	23/01/2016 से 31/03/17

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	श्री राम लाल	01/04/2014 से 31/03/2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत कोठी कोहड़, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातो मे भारी अन्तर	1.33
2	09	अनुदान राशियों का अवरोधन	11.71
3	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.35

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कोठी कोहड़, विकास खंड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06-02-18 से 14-02-18 तक ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं ब्यय के लिये क्रमश: 08/2014, 09/2015, 03/2017 व 06/ 2014, 06/2015, 02/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत कोठी कोहड़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-52 दिनांक-13-02-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

4.1 स्व-स्त्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-**1 व 2** में भी दिया गया है।

1 स्व-स्त्रोत

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	15439	155625	171064	95259	75805
2015-16	75805	20547	96352	36711	59641
2016-17	59641	43571	103212	40383	62829

2 अनुदान

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014–15	486445	1019501	1505946	1186843	319103
2015–16	319103	1262903	1582006	1046069	535937
2016–17	535937	2031780	2567717	1396620	1171097

कुल अन्तिम शेष= **1233926**

नोट:–पंचायत द्वारा मनरेगा कि रोकड़ बही नहीं बनाई गई है तथा इसका आय–व्यय विवरण ऑनलाइन रिकॉर्ड से तैयार किया गया I

(ब) दिनांक 31.03.2017 को ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ द्वारा बैंक में जमा राशि का विवरण :-

क्रमं संख्या	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	सामान्य	245800010008631	पी.एन.बी. मुल्थान	918509
2	T.S.C.	2458000100046123	पी.एन.बी. मुल्थान	11692
3	ZILAPARISHAD------	2458000100046080	पी.एन.बी. मुल्थान	749
4	B.A.S.P.	2458000100046105	पी.एन.बी. मुल्थान	82610
5	IAY/AAY	2458000100046114	पी.एन.बी. मुल्थान	18375
6	13th/14th FC	2458000100046099	पी.एन.बी. मुल्थान	46374
7	3rd State FC	20016005297	के.सी.सी.ब. बैजनाथ	288735
	हस्तगत राशि			99
	कुल योग			₹1367143

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही व बैंकों में जमा राशि में अन्तर =**₹133217 (₹1367143 – 1233926)**

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1.33 लाख का अन्तर:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनाक 31–03–17 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में **₹133217** का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है, जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों को बैंक के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना :–

6.1 रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव न करना

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही के प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियो के उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ में रोकड बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नही की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यशैली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय व एक ब्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व ब्यय के लेन देनों के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा ब्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ द्वारा इस के न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा ब्यय के आंकडों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 मनरेगा अनुदान की रोकड़ बही तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार फार्म-14 में सामान्य नियमानुसार रोकड़ बही तैयार करना अनिवार्य है। पंचायत द्वारा सामान्य रोकड़ बही तो तैयार कि गई है, परन्तु मनरेगा की रोकड़ बही तैयार नहीं की जा रही हैI व आय व्यय विवरणी ऑनलाइन रिकॉर्ड से तैयार की गई जिससे कि न केवल आय-व्यय विवरण तैयार करने में मुश्किल आई परन्तु इसमें अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई हैI। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार मनरेगा रोकड़ बही तैयार करना सुनिश्चित की जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹1490 वसूली हेतु शेष

पंचायत की स्व-स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बंधित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणनुसार दिनांक 31-03-17 तक

गृहकर के रूप में ₹1490 की वसूली शेष थीI, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए:-

क्र० स०	वर्ष	अथशेष	परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1	2014-15	2000	214	20/-	4280	6280	6280	शून्य
2	2015-16	शून्य	214	20/-	4280	4280	4280	शून्य
3	2016-17	शून्य	220	50/-	11000	11000	9510	1490

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय तथा ब्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नही किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹11.71 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–3–17 तक प्राप्त अनुदानों में से ₹1171097 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय किया जाना अपेक्षित था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा है अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के ब्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को ब्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.36 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रयः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं। चयनित मास के ब्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹35915 लाख के स्टाक का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना किया गया

था जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टाक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टाक/स्टोर का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज करना व उपयोग लेखा भी तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

11 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अभिलेखों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
2 जल प्रभार रजिस्टर
3 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
4 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
5 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
6 डाक टिकट रजिस्टर
7 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि।

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज किया गया है और न ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विविध अनियमिततायेः-

13.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

13.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

13.3 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अंतर्गत सिटींग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बंधित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बधी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 लघु आपत्ति विवरणिका:–लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

15 निष्कर्ष:– लेखों में बहुत सुधार कि आवश्यकता है I

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15) (2)196/2018 खण्ड–4195–4198 दिनांक 21.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत कोठी कोहड़, विकास खण्ड बैजनाथ जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881